

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

रतन लाल विपक्षी न्यायाधीश लाल
कदमा 88/188 RTI पत्रावली संख्या 38/2 सन

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं

10/11/25 पत्रावली पेज हुई। अधि. उदयपुर
उप. प्रतिवादी संख्या 107 के पर्याप्त अवरुद्ध
दिये जाते पर भी जवाब पेज नहीं किया गया।
अतः पुनः 107 के जवाब के अवरुद्ध को
कट किया जाता है। पत्रावली वस्तु साक्ष्यवादी
दिनांक 18/12/25 को पत्रावली है।

18/12/25

वकुलाम् वादी/प्रतिवादी उप. जवाब 107
के लिये मौका चाहते हैं। अतः जोरिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 06/02/26
को भेजा हो।

300/मावली

06/02/26 पत्रावली पेज हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को
बार - बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM
हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
बेकर नम्बर से कम है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

